CINU01112CT2004S6C017023 Website: http://agriportal.cg.nic.in/beejnigam

छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड

(छ.ग.शासन का उपकम)

मुख्यालय "बीज भवन" रविग्राम, तेलीबांधा जी.ई.रोड रायपुर (छ.ग.)

फोन नं.: 0771-4212201-228, फैक्स नं.: 0771-4046039, 4269654

ई–मेल : cgbkvn_homs@yahoo.co.in

क./मुख्या./बी.कृ.वि.नि./ई–कृषि/2023–24/7743 रायपुर, दिनांक 18/10/2023

प्रति,

प्रबंधक (लेखा),
मुख्यालय, रायपुर

विषय :– ई–कृषि के व्यवसाय के प्रचालन के संबंध में।

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि ऑनलाईन (ई–कृषि) पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु लेखा शाखा को निम्नलिखित अनुसार कार्य निर्देशित किया जाता है :–

1. वेंडर द्वारा ई–कृषि पर रजिस्ट्रेशन शुल्क को लेखा शाखा से जाँचकर सत्यापित किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन का शुल्क रूपये 11800/– (10000 + 18 % GST) होगा।
2. इंस्पेक्शन चार्जेस के देयक जिला प्रबंधक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के बाद 03 कार्यालयीन कार्यदिवस के अंदर लेखा शाखा द्वारा संबंधित वेंडर को ई–कृषि के माध्यम से ऑनलाईन जारी किया जायेगा।
3. इंस्पेक्शन चार्जेस के देयक की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

क्र.	सामग्री मात्रा	बेसिक दर	कुल बेसिक दर	कुल बेसिक दर का 5% = (इंस्पेक्शन चार्जेस)	इंस्पेक्शन चार्जेस पर 18% GST	कुल देयक इंस्पेक्शन शुल्क
A	B	C	D	E	F	G
			B X C=D	(D X 5)/100=E	(E X 18)/100=F	(E + F=G)

4. इंस्पेक्शन चार्जेस के देयक का भुगतान संबंधित वेंडर को निरीक्षण देयक राशि के देयक जारी होने के अधिकतम 15 दिवस के अंदर भुगतान करना अनिवार्य होगा।
5. संबंधित वेंडर द्वारा 15 दिवस के भीतर निरीक्षण देयक राशि का भुगतान न करने की स्थिति में वेंडर को 7 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में वेंडर का ऑनलाईन लॉगिन अकाउंट डिएक्टीवेट कर दिया जायेगा, जो कि भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् ही पुनः रिएक्टीवेट किया जावेगा।
6. इंस्पेक्शन शुल्क के देयक का भुगतान करने के पश्चात् वेंडर्स को भुगतान की रसीद ई–कृषि पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिसका सत्यापन लेखा विभाग को ई–कृषि के माध्यम से करना होगा।

प्रबंध संचालक
मुख्यालय, रायपुर

o/c